# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–851 वर्ष 2017**

देवनाथ राम, पे0 स्वर्गीय राम प्रीत राम, निवासी मोहल्ला–दुहा टांड़, अम्बेडकर क्लब के नजदीक, डाकघर–धनबाद, थाना–धनसार, जिला–धनबाद ..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राज्य, रांची, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची .... ..... उत्तरदातागण

**कोरम :** **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री के0के0 सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिएः– श्री ऋषिकेश गिरी, अधिवक्ता

3/08.03.2017 याचिकाकर्ता, जिसे 10.12.1980 को प्राथमिक विद्यालय, खिदिरपुरा, परसा, जिला–सारण में ए0एस0एच0 शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने अपनी जन्मतिथि में सुधार करने के लिए रिट याचिका (एस0) संख्या 5558/2016 इस न्यायालय में दायर किया है। इस न्यायालय में आने का तत्काल कारण पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 02.12.2008 को जारी प्रमाण पत्र था, जिसके तहत उनकी जम्म तिथि 05.01.1957 को 05.05.1958 संशोधित किया गया है।

2. आक्षेपित आदेश दिनांक 31.01.2017 द्वारा याचिकाकर्ता की अपनी जन्म तिथि में सुधार करने की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई है कि झारखंड वित संहिता के नियम 96 के तहत, नियुक्ति के 10 साल बाद जन्म तिथि में परिवर्तन/सुधार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, उपरोक्त के अलावा यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि सेवा के अंतिम काल में जन्म तिथि में कोई भी परिवर्तन कानून में स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने आवेदन दिनांक 15.03.1985 की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसने जिला शिक्षा अधीक्षक, सारण के समक्ष अपनी जन्म तिथि 05.01.1957 को सुधार कर 05.05. 1958 करने के लि एक अभ्यावेदन दिया है। यह आवेदन, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय में ए0एस0एच0 शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लगभग 5 साल बाद प्रस्तुत किया गया था और उस समय तक बोर्ड द्वारा उसकी जन्म तिथि में सुधार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा इस बात का विरोध नहीं किया है कि अपनी नियुक्ति के समय उन्होनें अपनी जन्म तिथि 05.01.1957 बताई थी और इस तिथि को उनकी सेवा अभिलेख में दर्ज किया गया था। यह जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। अब, संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2008 के आधार पर, याचिकाकर्ता अपनी जन्म तिथि 05. 05.1958 के रूप में सुधार की मांग की है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कामता पांडे बनाम मेसर्स बी0सी0एल0 (एफ0बी0) [2007 (3) जे0एल0जे0आर0 726] और दिग्विजय सिंह बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (झारखंड) [2008 (3) जे0सी0आर0 611 (झारखंड)] के निर्णयों का उल्लेख करते हुए तर्क किया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि को किसी कर्मचारी की जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

3. याचिकाकर्ता अपने कथन से स्वयं ही स्वीकार सकरता है कि नियुक्ति के समय, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज की गई जन्मतिथि 05.01.1957 है और इसे प्रत्यर्थियों द्वारा निर्णायक माना गया है। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा गलत रखा गया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के 28 साल बाद, उसकी जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में बदल दी गई और उसके 8 साल बाद, उसने अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रत्यर्थियों की सेवा के तहत उसकी जन्म तिथि को अब संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर सही किया जाना चाहिए।

4. 31 जनवरी, 2017 के आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं पाते हुए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)